बिहार में अन्तरिम सरकार (१९३७-१९३९) की कृषक नीति तथा कृषक आन्दोलन

बीज शब्द : बिहार, किसान आन्दोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अन्तरिम सरकार, स्वतंत्रता।

ISSN 0975 1254 (PRINT)
ISSN 2249-9180 (ONLINE)
www.shodh.net

A Refereed Research Journal
And a complete Periodical dedicated to
Humanities & Social Science Research

शोध संचयन

भारत अधिनियम 1935 के तहत 1937 में चुनाव हुआ और बिहार सहित अधिकांश प्रांतों में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सफलता मिली कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसानों की दशा सुधारने पर जोर दिया गया। बिहार में नया काश्तकारी कानून मुख्यत: 1937-38 में ही पारित हुआ था, 1911 के बाद लगान में की गई सारी बढ़ोतरी समाप्त कर 12.5 प्रतिशत से घटाकर 6.25 प्रतिशत कर दी गई। जमींदारों के लगान वसूली के अधिकारों में कटौती कर दी गई। जमींदारों के गैर कानूनी वसूली पर रोक लगा दी गई। जमींदारों के पास केवल मालगुजारी प्राप्त करने का अधिकार रह गया। बिहार में कई महत्वपूर्ण लड़ाईयाँ किसानों ने लड़ी कांग्रेस का मंत्रिमंडल होने के बावजूद भी सरकार जमींदारों का पक्ष लेती रही।

जमींदारी प्रथा को पूरी तरह खत्म करके कांग्रेस ने कृषि ढाँचे के कायाकल्प की कोशिश नहीं की इसीलिए कि उनको भय था कि कही जमींदार वर्ग अंग्रेजों के पक्षधर न हो जाय। इस तरह बिहार में कांग्रेस और किसान सभा के नेतृत्व में गंभीर मतभेद पैदा हो गया और दोनो एक-दूसरे के साथ चलने के लिए तैयार नहीं हुए।

डॉ. सुधा कुमारी
ग्राम+पो०-बराहीमपुर गोपी,
जिला- छपरा, सारण।

भारत अधिनियम 1935 के तहत 1937 में चुनाव हुआ और बिहार सहित अधिकांश प्रांतो में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सफलता मिली। चुनाव खत्म होते ही सारण जिले के मसरख में प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन हुआ। उसमें एक प्रस्ताव था कि कीमत देकर जमींदारी खत्म की जाए। उस पर किसान सभा वालों का संशोधन था कि बिना कीमत दिए ही जमींदारी खत्म की जाए। संशोधित प्रस्ताव पास हुआ।

कांग्रेस के घोषणा-पत्र में किसानों की दशा सुधारने पर जोर दिया गया। जमींदार भी जानते थे कि इस विषय में मंत्रिमण्डल जरुर जल्दी कुछ न कुछ करेगा। वे भी चाहते थे कि यदि सलाह से बात हो जाए तो उनके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि तब वे इस बदनामी से बच जाएँगे कि वे अपने स्वत्वों से चिपक रहे और कांग्रेस ने जबरदस्ती कानून बनाकर किसानों की भलाई की मिनिस्ट्री बनने के बाद ही उनके कुछ मुखिया मंत्रिमण्डल से मिले। उन्होंने यह सवाल पैदा किया कि लगान-कानून और किसानों की दशा सुधारने के सम्बन्ध में सरकार जमींदारों से बात कर ले। मन्त्रीमण्डल की यह राय हुई कि लगान-कानून संशोधन के सम्बन्ध में यदि कोई चीज बातचीत से तय हो जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि उस हालत में जो भी कानून बनेगा वह जल्द और आसानी से असेम्बली और कौंसिल से पास हो सकेगा। उससे वैमनस्य घटेगा और उसे जमींदार रोकवाने का प्रयास नहीं करेंगे।

भारत के विभिन्न भागों में कृषि का जो ढाँचा था, उसका विकास कई सदियों का नतीजा था। इसका स्वरुप काफी जटिल और उलझा हुआ था। इसके विभिन्न अवयवों के विषय में लोगों को ठीक से जानकारी भी नहीं था। उदाहरण के लिए भूमि-सम्बन्धी अधिकार, सूदखोरी और कर्ज की समस्या भी किसानों के उत्पादन और अजीविका के साथ अत्यन्त जटिल रूप से जुड़ी हुई थी इसको एक झटके में नहीं हल किया जा सकता था।[3]

बिहार में नया काश्तकारी कानून मुख्यत: 1937-38 में ही पारित हुआ था। कई मामलों में यह अधिनियम संयुक्त प्रान्त की तुलना में अधिक क्रान्तिकारी था। इसके मुख्य प्रावधान इस प्रकार थे- 1911 के बाद लगान में की गई सारी बढ़ोत्तरी समाप्त कर दी गई। अनुमान लगाया गया कि इसके कारण 25 प्रतिशत की कटौती हुई। यदि मौजूदा लगान की दरों के दौरान अनाज के मूल्यों में कमी आई तो भी लगान में कमी कर दी गयी। भूमि पर काबिज रैयत को इस बात का पूरा अधिकार दिया गया कि

लगान को दा प्रतिशत जमींदार को अदा कर, भूमि का हस्तान्तरण कर सकता है। यदि कोई मालगुजार किसी जमीन पर लगातार बारह साल तक खेती करता रहे तो जमीन पर उसका काश्तकारी अधिकार हो जाएगा।[4]

यह कानून अपने पूर्ववर्ती कानूनों से क्रान्तिकारी प्रस्थान बिन्दु था। लगान की मौजूदा बकाया राशि कफी कम कर दी गई और बकाए राशि पर लगाए गए ब्याज की दर 12.5 प्रतिशत से घटाकर 6.25 प्रतिशत कर दी गई। ऐसी व्यवस्था की गई कि बटाईगिरी में जमींदारों का हिस्सा कुल फसल का 9/20 से ज्यादा नहीं हो सकता था। पिछला बकाया न चुकाने (1929–39 के मध्य का) के कारण जिस जमीन की डिगरी हो चुकी, बकाया राशि का आध भाग अदा करने पर उस जमीन को पुराने काश्तकार को वापस कर देने का प्रावधान किया गया था।[5]

जमींदार के लगान वसूली के अधिकारों में कटौती कर दी गई। इसके लिए अब काश्तकार को न तो बन्दी बनाया जा सकता था, न जेल भेजा जा सकता था और न बिना उसकी सहमति के उसकी अचल सम्पति को ही बेचा जा सकता था। जमींदारों के गैर–कानूनी वसूली पर रोक लगा दी गई। मालगुजारों द्वारा मालगुजारी अदा न कर पाने पर जमीन को बेदखल नहीं किया जा सकता था। जमींदारों के पास केवल मालगुजारी प्राप्त करने का अधिकार रह गया था लेकिन उसे भी बहुत कम कर दिया गया था। इस कानून को तोड़ने वाले का मतलब छः महीने की सजा।[6]

स्वामी सहजानन्द ने बिहार प्रान्तीय किसान सभा की स्थापना की थी और वे अखिल भारतीय किसान सभा के एक प्रमुख नेता भी थे। किसान सभा के संगठन को बिहार के गाँवों में फैलाने में उन्हें कार्यानन्द शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानन शर्मा और यदुनन्दन शर्मा जैसे बहुत से बामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। किसान सभा के कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने की दिशा में, बिहार प्रान्तीय किसान सभा ने, सभाओं, सम्मेलनों, रैलियों और प्रदर्शनों का बड़ा प्रभावशाली इस्तेमाल किया। 1935 में ही किसान सभा जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित कर चुकी थी, 1938 में पटना में एक बड़ा प्रदर्शन भी हुआ जिसमें लगभग एक लाख किसानों ने हिस्सा लिया। इन सभाओं–सम्मेलनों में बार–बार प्रस्ताव पारित कर इसे एक लोकप्रिय नारा बना दिया गया। बिहार के किसानों की दूसरी मांग थी। गैर–कानूनी वसूलियों और काश्तकारों की बेदखली का अन्त तथा बकारत जमीन की वापसी[7]।

1937 में कांग्रेसी मंत्रिमण्डल प्रान्तों में बनने के बावजूद किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार तत्पर नहीं दिखाई पड़ी। कांग्रेसी मंत्रियों को किसानों के हितों से अधिक जमींदारों के हितों की चिन्ता थही। यह बात बिहार में भी घटित हुई। बिहार में कई महत्वपूर्ण लड़ाईयाँ, किसानों की जमींदारों और सरकार के साथ हुई। उनमें बड़हिया, खेड़ा, मझियावा तथा अमवारी के बकाश्त संघर्ष ऐतिहासिक है। कांग्रेस का मंत्रिमण्डल होने के बावजूद भी सरकार जमींदारों का पक्ष लेती रही।

बड़हिया (मुंगेर) में संघर्ष 1936 (कांग्रेसी मन्त्रीमण डल बनने के पहले) से कांग्रेसी मन्त्रीमण्डल बनने के बाद (1939) तक चलता रहा। वहाँ के निवासी अधिकांश धानुक, ढ़ाढ़ी, मल्लाह वगैरह है। पुराने जमाने में वे जमीन के मालिक थे। जमींदारों ने बड़हिया तथा अन्य गाँवों में छल, बल से उनकी जमीने छीन लीं तथा उन्हें बटाईदार बना दिया। काश्तकारी कानून के अन्तर्गत उन जमीनों पर उन किसानों का भी हक होता था क्योंकि 12 वर्षों से अधिक उन्होंने जमीन जोती थी। 1937 के जून में राजेन्द्र प्रसाद (प्रथम राष्ट्रपति) तथा श्री कृष्ण सिंह (प्रथम मुख्य मंत्री) के नेतृत्व में एक कमिटी बनी, जिसने किसानों के लाभ में कुछ फैसले किए परन्तु उसे लागू नहीं किया गया। इस प्रकार बढ़ईया ताल में जमींदारों के दुराग्रह एवं कांग्रेसी मंत्रियों द्वारा जमींदारों को प्रोत्साहन देने के कारण किसानों के साथ न्याय नहीं हो सका।[8]

बिहार में अनेक स्थानों पर यही हाल था। कांग्रेस मंत्रियों के जमाने में जमींदारों की हिम्मत और बढ़ थी कांग्रेसी जमींदारों से समझौता कर लेते। इसलिए जुल्म बढ़ रहा था। किसानों से जमीन छिनी जा रही थी फलतः किसान सर्वत्र त्रस्त थे।[9]

खेड़ा (पटना जिला) में डेढ़ हजार बीघा जमीन जमींदारों ने नीलाम करवा ली थी जमींदारों के अत्याचार से किसान त्रस्त थे। जमींदारों के पास, मजिस्ट्रेट के पास और कांग्रेस के नेताओं और मंत्रियों के पास दौड़ते–दौड़ते किसान थक चुके थे। अन्त में किसान सभा के यदुनन्दन शर्मा के नेतृत्व में किसानों ने फसल काट लिया। जमींदारों की ओर से जिला कलक्टर ने समझौता कराया। करीब डेढ़ सौ बीघा जमीन जमींदारों को देकर बाकी शेष जमीन किसानों को मिली[10]

गया जिला के मझियावा, अनुवा, अगदा, भलुआ, मझवे, साड़ा आदि गाँवों में किसानों ने सफलतापूर्वक सत्याग्रह किए। शाहाबाद जिले के बड़गाँवें, दरिगाँव आदि में, सारण जिले के अमवारी परदासी, छितौली, जिले के राघोपुर, देकुली, पंडौल, पड़री, पटना जिले के दरमपुर, अंकुरी, जलपुरा, तरचुर, बेलदारी चक में किसानों ने मुस्तैदी से संघर्ष किया। चम्पारण और भागलपुर में भी संघर्ष हुए और किसान नेता जेल में डाल दिए गए।11

सारण जिला (वर्तमान में सीवान जिला) के रघुनाथपुर थाना के अमवारी गाँव में महापण्डित राहुल सांकृत्यायन तथा रामवृक्ष बेनीपुरी के नेतृत्व में जमींदारों के खिलाफ किसानों ने

आन्दोलन किया तथा फसल काटा। राहुल सांकृत्यायन का पहला जत्था ऊख काटने खेत में पहुँचा। जमींदार परिवार ने लठैतों को उकसाया मदार पीतवस्त्रधारी बौद्ध-भिक्षुओं पर हाथ उठाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। अन्त में पीलवान कुरबान ने उनके सर पर लाठी से प्रहार कर दिया और उनके सर से खून गिरने लगा। राहुल सहित दो दर्जन किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर सीवान जेल में भेज दिया। जमींदार के कहने पर पुलिस ने कुरबान को छोड़ दिया।[12]

''राहुल के सर खुन गिरे,
फिर वह खुन उबल ने उठे।
साधु के शोणित से फिर क्यों,
सोने की लंका जल न उठे।''

जमींदारी प्रथा को पूरी तरह से खत्म करके कांग्रेस ने कृषि ढाँचे के कायाकल्प की कोशिश नहीं की थी विभिन्न वर्गों के बीच ताल-मेल बैठाना आवश्यक था। जमींदार वर्ग अंगेजों का पक्षधर न हो जाए, इसका भय था। राष्ट्रीय संगठन के रूप में कांग्रेस भी वर्गों का मंच था, सभी वर्ग कांग्रेस के अंग थे। विधान परिषद् में प्रतिक्रियावादी तथ्यों का बोलबाला था। साथ ही प्रशासनिक ढाँचा बदलने का काम गर्वनर के अधिकार क्षेत्र में था। किसान आन्दोलन और राष्ट्रीय आन्दोलन में अटूट रिश्ता था।

बिहार में कांग्रेस और किसान सभा के नेतृत्व में गम्भीर मतभेद पैदा हो गया और कभी-कभी तो किसान आन्दोलन और कांगेस सरकार मुठभेड़ के रास्ते पर चले गए। लेकिन ऐसा वहीं, हुआ, जहाँ वाम पंथी कार्यकत्ताओं और कांग्रेस के दक्षिणपंथी समर्थक अपनी-अपनी जिद पर अड़ गए और एक दूसरे के साथ चलने के लिए तैयार नहीं हुए।[14]

सन्दर्भः-

1. स्वामी सहजानन्द सरस्वती, 'मेरा जीवन संघर्ष' : ग्रन्थ शिल्पी, लक्ष्मीनगर, नई दिल्ली, 1940, पृष्ठ 258-259
2. राजेन्द्र प्रसाद, 'आत्मकथा', नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, 2005, पृष्ठ 564-564
3. विपिन चन्द्र तथा अन्य, 'भारत का स्वतंत्रता-संघर्ष' दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, 2013, पृष्ठ 317
4. वही,
5. वही, पृष्ठ 318
6. वही;
7. वही, पृष्ठ 338-339
8. स्वामी सहजानन्द सरस्वती, पू0 3, पृष्ठ 274-76
9. वही,
10. वही, पृष्ठ 277-278
11. वही, पृष्ठ 278-279
12. अर्पणा, 'कृषक समस्याएँ और कांग्रेस', अनामिका पब्लिसर्स, नई दिल्ली, 2010, पृष्ठ 76-78
13. राजेन्द्र कालेज, छपरा के प्रध्नाचार्य मनोरंजन प्रसाद की कविता, 'राहुल का खून पुकार रहा'
14. विपिन चन्द्र तथा अन्य, पू0 3, पृष्ठ 345

Continued from Page No. 41

governance for sound handling of urban refuse, intense education and awareness for common mass. It is apathy towards nature and oneself as we do not know the consequences of decomposition of waste on health and environment. Possibly detrimental effects could have been avoided if common man is made aware of affects formerly.

References:-

1. Beigl, P., Lebersorger, S. and Salhofer, S. (2008): 'Modeling Municipal Solid Waste Generation": A Review- Waste Management, vol.: 28, n:1, pp: 200-214.
2. Berglund, C. (2006): 'The assessment of households' recycling costs: The role of personal motives", Ecological Economics, vol.:56, n:4, pp:560
3. Bhide, A.D and Sundaresan, B. B., (2001): 'Solid Waste Management- Collection, Processing and Disposal", Mudrashilpa Offset Printers, Nagpur.
4. Chandrasekar, Indrani (2002): 'Policy and Prospects of Municipal Solid Waste", Workshop on Municipal Solid Waste in India, IIT Delhi.
5. CPCB (1999) 'Status of Solid Waste Generation, Collection, Treatment and Disposal in Metro Cities", Central Pollution Control Board, Delhi.
6. ICDP Phase 2, (2001): 'Solid Waste Management in Kanpur" (Technical Report), Institutional and Community Development Project, India.
7. MOUD report, (2005): 'Management of Solid Waste in Indian Cities, New Delhi", Ministry of Urban Development, New Delhi.
8. Palatnik, R., Ayalon, O. and Shechter, M. (2005): 'Household Demand for Waste Recycling Services", Environmental Management, vol.:35, n:2, pp: 121-129.
9. Shekdar A.V., (1999): 'Municipal Solid Waste Management- The Indian Experience", Journal IAEM, Vol.27, p 100-108.
10. Zia H, Devadas V,(2008):"Urban Solid Waste Management in Kanpur, Opportunities and Prospective", IIT-Roorkee, India, Habitat International, 32, 58-73.